UPSH010004022020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु० जाति/अनु० जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष सं0–2, शाहजहाँपुर।

परिवाद संख्या – 03/2020
गंगाराम बनाम किन्दरलाल एवं अन्य।

दिनांक – 17.02.2024

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के संबंध में आदेश हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का कथन है कि उसकी चकबंदी अधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर चक सं० 109 गाटा सं० 133/1 पर रकवा 0.493 हे० का चक आवंटित किया था। जिसका कब्जा व दखल परिवादी को चकबंदी कर्मचारियों द्वारा मौके पर दिलाकर और उसके खेतों की मेड़ें वगैरह बंधवायीं थीं। परिवादी के पड़ोस के काश्तकार किन्दरलाल पुत्र मनोहर लाल, गुरुदयाल पुत्र किंदरलाल, मुन्नालाल (पंचायत मित्र), श्यामलाल व मुनेश्वर एवं सरिता पत्नी मुनेश्वर लाल जोकि वर्तमान ग्राम प्रधान है। परिवादी के चक की मेड़ों को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया जब परिवादी ने कहा तो उसे गाली गलौज कर झगड़ा फसाद पर आमादा हो गए। उसके खेत की मेड़ों के निशान वगैरह जो चकबंदी अधिकारियों द्वारा नियत किए गए थे, उन्हें पूर्णतः मिला दिया, तब परिवादी ने चकबंदी अधिकारी महोदय द्वारा कर्मचारियों को भेज कर परिवादी के खेत की मेड़ों को पुनः दुरुस्त कराया गया और उक्त सभी को हिदायत दी गयी कि आप परिवादी गंगाराम के कब्जा दखल में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दिनांक 27.11.2019 को समय करीब दिन के 11 बजे अपने उक्त खेत में गेंहूँ की फसल बोयी, गेंहूँ की फसल की बुवाई करके घर चला आया तो उक्त सभी ने मिलकर उसी दिन, दिन में 03.00 बजे परिवादी की फसल को पलट कर फसल नष्ट कर दी। परिवादी और उसके परिवार के सभी लोग मौके पर पहुँचे तो उक्त सभी ने मना किया तो सभी एक राय होकर माँ–बहन की गंदी – गंदी गालियाँ देते हुए मारपीट करने लगे। उक्त सभी ने परिवादी के साथ धक्का मुक्की कर लात – घूंसों से मारापीटा, जिससे उसे गुम चोटें आयीं। परिवादी को उक्त सभी ने जाति सूचक गालियाँ देते हुए कहा जान से मारने की धमकी दी। उक्त सभी ने परिवादी की फसल को नष्ट करके करीब रू० 15000/– का नुकसान कर दिया। जान से मारने की नियत से मुनेश्वर ने परिवादी पर तमंचा तान दिया। मौके पर गाँव के श्याम सिंह, राकेश, सर्वेश कुमार, सियाराम आ गए जिन्होंने परिवादी को बमुश्किल बचाया, जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। घटना के बाद परिवादी रिपोर्ट के लिए थाना पर गए थे लेकिन परिवादी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी।

परिवादी की ओर से धारा 200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा 202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पी0 डब्लू0–1 श्याम सिंह व पी0 डब्लू0–2 राकेश को परीक्षित कराया गया।

परिवादी ने अन्तर्गत धारा 200 दं0 प्र0 सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि मेरी आराजी गाटा संख्या 133/1 मेरे नाम से ही है। यह जमीन का कब्जा 493 हे० (क्षेत्रफल) का कब्जा मुझे चकबंधी अधिकारी द्वारा दिलाया गया था। दिनांक 24.11.2019 को मैंने खेत जुतवाया था। उसी दिन मुल्जिमान किन्दरलाल, गुरदयाल, मुन्नालाल, श्याम लाल व मुनेश्वर ने जबरदस्ती आधे खेत में मेड़ डाल दी। अगले

Digitally signed by ALOK KUMAR SHUKLA
Date: 2024.02.17 16:43:23 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिन मैंने एस०डी०एम० साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने चकबन्दी अधिकारी द्वारा जाँच करायी तो मुल्जिमान द्वारा मेड़ गलत तरीके से डालना पाया गया। उन्होंने कहा तुम्हारा जितना खेत गाटा संख्या 133/1 में है, उसमें फसल कर लो। 27.11.2019 को मैंने उसमें गेंहुँ बुवा दिये। उसी दिन मैं कचहरी शाहजहाँपुर आ गया तो मेरे पीछे मुल्जिमान द्वारा गेंहुँ पलट दिये। जब मैं वापस गया तो मैंने मुल्जिमान से कहा तो वे सभी मुझे चमट्टे कहकर गाली देने लगे, हाथापाई करने लगे। कहा कि तुम्हें खेत नहीं लेने देंगे। मुनेश्वर दयाल ने मेरे ऊपर तमंचा भी ताना था। घटना राकेश, श्याम सिंह व मेरी पत्नी ने देखी थी व मुझे बचाया था। जान से मारने की धमकी दी थी। थाने रिपोर्ट लिखाने गया, नहीं लिखी गयी। उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये, कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा परिवादी के कथन का समर्थन किया गया है।

अतः परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण किन्दरलाल, गुरुदयाल, मुन्नालाल, श्यामलाल व मुनेश्वर के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा – **323, 427, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(च)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण किन्दरलाल, गुरुदयाल, मुन्नालाल, श्यामलाल व मुनेश्वर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **किन्दरलाल, गुरुदयाल, मुन्नालाल, श्यामलाल व मुनेश्वर** को धारा– **323, 427, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(च)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं तलबाना/आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांकः 27.03.2024 को पेश हो।

दिनांक – 17.02.2024

(आलोक कुमार शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश, अनु० जाती/
अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष सं० – 02, शाहजहाँपुर।
J.O. No. - 6167